

कायालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Pho @ Fax No&01372252149

Email-dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक:- 2231 / 12-1 गोपेश्वर,

दिनांक 29/11/2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:- पाक्षिक क्षेत्रीय समन्व Meeting Notice of Fornightly Regional Coordination Meeting (FRCM) of 13 September 2024-reg. की बैठक का कार्यवृत्त।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं० IRO/DDN/FRCM/01/2022 दिनांक 01.10.2024, प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय के पत्रांक 1171/1जी-5095(रा0रा0प्रा0), दिनांक 05.10.2024, आपके कार्यालय के पत्रांक 751/12-1, दिनांक 10.10.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि आपके कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त दिनांक 13.09.2024 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त में निम्न ऐजेण्डा की अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है।

ऐजेण्डा न०	ऐजेण्डा	अनुपालन आख्या
ऐजेण्डा न० 07	<p>Diversion of 3.376 ha forest land for Construction of Maalai to Bhatkwali Motor Road under PMGSY in favour of PMGSY within the jurisdiction of Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar, District Chamoli in Uttarakhand (Online Proposal Number-FP/UK/ROAD/18222/2016)</p> <p><i>The Proposal was discussed with the Project Proponent and with the concerned DFO. It was noted that Stage-I has already been accorded in the Proposal vide letter dt. 08 09-2016. The notification of CA under Indian Forest Act, 1927 has not been done.</i></p> <p><i>After Detailed discussion, it was decided that CA area shall be notified as Reserve Forest/Protected Forest, under Indian Forest Act, 1927 and copy of the same shall be submitted.</i></p>	<p>उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1957/12-1, दिनांक 30.09.2023 द्वारा प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को उक्त सी०ए० क्षेत्र के आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने का प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया। जिसे पुनः संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।</p> <p><u>संलग्नक:-1</u></p>
ऐजेण्डा न० 08	<p>Diversion of 2.73 ha forest land for Construction of Bungidhar Mehalchauri Bachhuwaban Motor Road Km-25 to Syuni Talli Motor Road in favour of PMGSY within the jurisdiction of Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar, District Chamoli in Uttarakhand (Online Proposal Number-FP/UK/ROAD/10762/2015)</p> <p><i>The Proposal was discussed with the Project Proponent and with the concerned DFO. It was noted that Stage-I has already been accorded in the Proposal vide letter dt. 22-01-2018 with a condition of raising CA in 5.46 hac in Civil Soyam land in village Khinsar. But, it was seen that the CA Plantation has been carried out over Degraded Forest Land without taking approval.</i></p> <p><i>After detailed discussion, it was decided that the document clarification/information on following points may be sought from the State Government.</i></p> <p>1- How the Plantation is done without taking</p>	<p>शर्त सं० 01 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 2787/12-1, दिनांक 17.11.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार के कार्यालय के पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/06/40/2016/एफ०सी०/1739, दिनांक 22.01.2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में सी०ए० क्षेत्र खिन्सर सिविल दिया गया। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या में प्रस्तावक विभाग ने अपने कार्यालय के पत्रांक 937/चार-प्रावि/वनभूमि/पत्रा०/पी०एम० जी०एस०वाई०/2021-22, दिनांक 23.02.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पूर्व में चयनित क्षेत्र खिन्सर सिविल राजस्व विभाग द्वारा किसी अन्य परियोजना हेतु अन्य विभाग को हस्तान्तरित किया जाने के कारण उक्त भूमि का नामान्तरण/हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता जिसके उपरान्त जिलाधिकारी चमोली के आदेश सं० 5076/छब्बीस-22 (2017-18) दिनांक 04.06.2018 द्वारा ग्राम स्यूणी तल्ली प० वृ० मेहलचौरी, तह० गैरसैण एवं ग्राम बीणा, प०वृ० रोहिडा, तह० गैरसैण की भूमि वन विभाग के पक्ष में</p>

- approval of the Government of India?
2- The DFO shall submit the status of Oak trees in CA area as per Stage-I approval condition.

प्रत्यावर्तन किये जाने की स्वीकृति प्रदान का गइ ह, प्रस्तावक विभाग के कार्यालय के पत्रांक 1069/चार-प्रावि/वनभूमि/पत्रा0/पी0एम0जी0एस0वाई0/2022-23, दिनांक 28.12.2024 द्वारा चयनित क्षेत्र के डिजिटल एवं जियोरिफरेन्स मैप इस कार्यालय को उपलब्ध कराये गये। जि. का गूगल अर्थ में अवलोकन करने पर पाया गया कि क्षेत्र सघने है, जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं था। जिस कारण इस कार्यालय के पत्रांक 3612/12-1, दिनांक 11.01.2023 द्वारा लोहवा रेंज के अन्तर्गत रामगंगा रिज0 क0 सं0 12 में अवनत भूमि का चयन कर प्रस्तावक विभाग को उपलब्ध कराया गया एवं अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 872/12-1, दिनांक 11.08.2023 नोडल कार्यालय को प्रेषित की गई। रामगंगा रि0 क0 सं0 12 में आतिथि तक किसी भी प्रकार का वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
शर्त सं0 02- शर्त सं0 01 के अनुसार।

ऐजेण्डा न0 10:-

Diversion of 4.72 ha forest land for Construction of Bakriya Band to Chimta Motor Road in favour of PMGSY within the jurisdiction of Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar, District Chamoli in Uttarakhand (Online Proposal Number-FP/UK/ROAD/21220/2016)

The Proposal was discussed with the Project Proponent and with the concerned DFO. It was noted that Stage-I has already been accorded in the Proposal vide letter dt. 13.03.2020 with a condition that minimum 50% of Oak Plantation to be carried out in CA area. The compliance report of Stage I approval was received on 09-02-2021. After various correspondence, this office raised EDS on 29-08-2024.

After detailed discussion, it was decided that the document clarification/information on following points may be sought from the State Government.

- 1- Status of Plantation CA area.
- 2- What is the percentage of Oak Plantation in CA Area?

इस कार्यालय के पत्रांक 993/12-1, दिनांक 04.09.2024 द्वारा उक्त बिन्दुओं की सूचना नोडल कार्यालय को प्रेषित की गई जिसमें मल्ला चांदपुर गा क0 सं0 04 में वर्ष 2021-22 में रोपण किया गया था। वर्तमान में उक्त वनीकरण क्षेत्र में सफलता प्रतिशत 78 प्रतिशत है।
बिन्दु सं0 02 के कम में-


प्रजाति का नाम	वर्ष 2021-22 में रोपित पौधों की सं0	जुलाई 2024 में जीवित पौधों की सं0	सफलता प्रतिशत
बांज	2880	2310	81%
मोरु	800	640	80%

संलग्नक:- 2

अतः सूचना सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न:- यथापरि।

भवदीय,



(तरुण एस0)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 2231 / 12 दिनांकित

प्रतिलिपि:- निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- आदि0 आधि0, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 सं0 12, कर्णप्रयाग की उपरोक्त क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


(तरुण एस0)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड कर्णप्रयाग

Phone/Fax- 01363-244843

E-Mail- cepmgsykaranprayag@a rediffmail.com

पत्रांक 321 / चार-प्रावि०/वनभूमि पत्रा०/ PMGSY / 2024-25,
सेवा में,

दिनांक 11 / 07 / 2025,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:-

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बूंगीधार मेहलचौरी बछुवाबाण मोटर मार्ग के किमी० 25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग हेतु 2.775 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सन्बन्ध में (FP/UK/ROAD/10762/2015)

सन्दर्भ:-

- 1:-भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे०का०) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/06 / 40/2016/एफ०सी०/1739, दि० 22.01.2018
- 2:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे०का०) देहरादून द्वारा दिनांक 13.09.2024 को आयोजित पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय बैठक (F.R.C.M.)का कार्यवृत्त (छायाप्रति संलग्न)
- 3:-इस कार्या० के पत्रांक 667 / चार-प्रावि०/2024-25, दिनांक 26.10.2024(छायाप्रति संलग्न)
- 4:-इस कार्या० के पत्रांक 824 / चार-प्रावि०/2024-25, दिनांक 20.12.2024(छायाप्रति संलग्न)

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपको अवगत कराया गया था, कि भारत सरकार स्तर पर दिनांक 13.09.2024 को सम्पादित एफ०आर०सी०एम० की बैठक में विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित उक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार कमियां इंगित की गई हैं। अतः अनुरोध है, कि भारत सरकार द्वारा उक्त बिन्दुओं पर चाही गई सूचना अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए प्रस्ताव को विधिवत स्वीकृति हेतु नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षण उत्तराखण्ड को अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कष्ट करें।

महोदय, उक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा इंगित कमियों का आपके स्तर से आतिथि तक निराकरण कर अग्रसारित नहीं किये गये हैं। जिससे उक्त प्रस्ताव पर विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने में विलम्ब हो रहा है, आतिथि तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू०आर०आर०डी०ए० /उच्चाधिकारियों द्वार विभिन्न बैठकों में रोष प्रकट किया जा रहा है।

क्र०स०	बिन्दु संख्या	अनुपालन आख्या
1	How the plantation is done without taking approval of the Government of India	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।
2	The DFO shall submit the status of Oak trees in CA area as per Stage-I approval condition	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है, कि भारत सरकार द्वारा उक्त बिन्दुओं पर चाही गई सूचना कृपया इस खण्ड को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि वॉछित सूचना इस खण्ड (User Agency) के माध्यम से ऑनलाईन अपलोड कर उक्त प्रस्ताव को विधिवत स्वीकृति अग्रसारित की जा करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड कर्णप्रयाग।

क्रमश.....2



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड कर्णप्रयाग

Phone/Fax- 01363-244843

E-Mail- ceepmgsykaranprayag1@rediffmail.com

—(2)—

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

- प्रतिलिपि:—निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
- 1:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड।
 - 2:- मुख्य अभियन्ता, यू०आर०आर०डी०ए०, उत्तराखण्ड देहरादून।
 - 3:- मुख्य अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० (ग०क्षे०) देहरादून।
 - 4:- अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लो०नि०वि० गोपेश्वर (मु०गौचर)।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड कर्णप्रयाग।